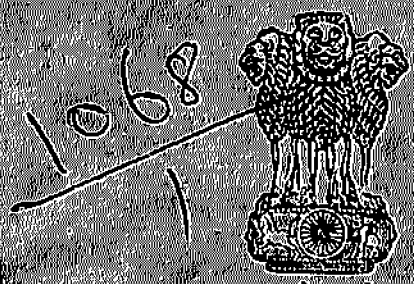

1068/1

सत्यमेव जयते

खंड ४ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि १ फरवरी, १९५४

Vol. IV No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Monday, the 1st February, 1954.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५४।

[मूल्य—६ आना।]
[*Price Annas 6.*]

(ग) गवर्नमेंट के पास कोई खबर नहीं है मगर यह बात सही है कि नन-आदिवासियों ने रैयती जमीन की गाछ को खरीदा है और यह बात भी सही है कि चकधरपुर यह लकड़ी वे भेजते हैं।

(घ) और (ङ) गवर्नमेंट के पास कोई खबर नहीं है मगर चूंकि रैयती जमीन की गाछ खरीदी जाती है और व्यापार के लिए खरीदी जाती है और चूंकि खरीदनेवाले भिन्न-भिन्न स्थानों में लकड़ी भेजते हैं इस पर गवर्नमेंट का कोई अख्तियार नहीं है।

सारन जिलान्तर्गत, थाना गोपालगंज में आग लग जाने के कारण मकानों को क्षति पहुंचना।

†*३८६। श्री शिव कुमार पाठक—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि शुकठ रावत, विरजा रावत, मिसीरी रावत और दुखी रावत, सा० जगीरी टोला, थाना गोपालगंज, जिला सारन के घर ता० १८ नवम्बर १९५३ को आग लग जाने के कारण जल कर भस्म हो गये;

(ख) क्या यह बात सही है कि उन लोगों ने एस० डी० ओ०, गोपालगंज के पास सहायतार्थ आवेदन-पत्र दिये थे;

(ग) यदि खंड (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) और (ख) उत्तर हां है।

(ग) फायर रिलीफ ग्रांट क्षतिग्रस्त लोगों को दिया गया था।

ग्राम कुकुरिया के किसानों को मुआवजा।

*३९०। श्री नवल किशोर सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि तीन चार साल पहले तिरहुत बांध के लिये ग्राम कुकुरिया, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर में भूमि अधिकृत की गई थी;

(ख) क्या यह बात सही है कि जिन किसानों की जमीन ली गई थी, उन्हें अभी तक कोई मुआबजा नहीं मिला;

(ग) क्या सरकार उन्हें मुआबजा देने का विचार करती है, यदि हां, तो कब तक;

(घ) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उन्हें मुआवजा देने का विचार करती है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान ७ अक्तूबर १९५३ के उनके शौर्ट नोटिस क्वेश्चन जो उनका था उसके उत्तर की तरफ आकर्षित किया जाता है।

(ग) और (घ) कलक्टर, मुजफ्फरपुर को कहा गया है कि इस साल ३१ मार्च के पहले कंपेसेशन का रुपया दे दें।

---

†प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री बैजनाथ सिंह के निवेदन करने पर उत्तर दिया गया।